REVIEW OF RESEARCH

ISSN: 2249-894X
IMPACT FACTOR : 3.8014 (UIF)
VOLUME - 6 | ISSUE - 5 | FEBRUARY – 2017

अनुसूचित जातियों में कन्या भ्रूण हत्या की समस्या

दिलीप कुमार ठाकुर[1] , डॉ. कन्हैया चौधरी[2]
[1]शोध–छात्र, विश्वविद्यालय, गृह विज्ञान विभाग, ल.ना. मिथिला विश्वविद्यालय, दरभंगा.
[2]व्याख्याता, गृह विज्ञान विभाग, एम.आर.एम. कॉलेज, दरभंगा.

सारांश :
अनुसूचित जातियों में में कन्या भ्रूण हत्या एक जटिल विषय है– हम जानते हैं कि यह विषय कितना जटिल है, जिसके सम्बन्ध में मुझे अपने विचार व्यक्त करने हैं। मुझसे ज्यादा योग्य विद्वानों ने जाति के रहस्यों को खोलने का प्रयास किया है। किन्तु यह बड़े खेद की बात है कि अभी तक इस विषय पर चर्चा नहीं हुई है और लोगों को इसके बारे में अल्प जानकारी है। जाति जैसी संस्था की जटिलताओं के प्रति हम इतने निराशावादी नहीं हैं कि यह कह सकें कि यह पहली अमग, अज्ञेय है, क्योंकि मेरा विश्वास है कि इसे जाना जा सकता है। अनुसूचित जातियों में लैंगिक असमानता कन्या भ्रूण हत्सा की समस्या सैद्धांतिक और व्यावहारिक रूप से एक विकराल समस्या है।

प्रस्तावना :
आज समाज में अपराध बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। इनमें एक जघन्य अपराध भ्रूण हत्या भी है। इस अपराध के पीछे इच्छित संतान है। इसे अंजाम देने के लिए वैज्ञानिक आविष्कार सहयोगी बने हैं। परिणामस्वरूप गर्भस्थ शिशु का लिंग परीक्षण कराना और अनचाही संतान से छुटकारा पाना सहज हो गया है। जनसंख्या नियंत्रण को प्राथमिकता देने वाली सरकार ने जबसे भ्रूण हत्या को कानूनी वैधता प्रदान की है, तबसे विश्व में भूण हत्याओं का क्रूर व्यापार निर्बाध गति से बढ़ रहा है। भगवान महावीर, बुद्ध एवं गांधी जैसे प्रेरकों के इस अहिंसा प्रधान देश में हिंसा का नया रूप भारतीय संस्कृति का उपहास है। भारत में करीब ढाई दशक पूर्व भ्रूण परीक्षण पद्धति की शुरुआत हुई, जिसे एमिनो–सिंथेसिस नाम दिया गया. एमिनो–सिंथेसिस का उद्देश्य है, गर्भस्थ शिशु के क्रोमोसोम्स के संबंध में जानकारी हासिल करना। यदि उनमें किसी भी तरह की विकृति हो, जिससे शिशु की मानसिक–शारीरिक स्थिति बिगड़ सकती हो तो उसका उपचार करना। लेकिन पिछले करीब दस–पंद्रह वर्षों से एमिनो–सिंथेसिस राह भटक गया है। आज अधिकांश माता–पिता गर्भस्थ शिशु के स्वास्थ्य की चिंता छोड़कर भ्रूण परीक्षण केंद्रों में यह पता लगाते हैं कि वह लड़का है अथवा लड़की।

यह कटु सत्य है कि लड़का होने पर उस भ्रूण के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं होती, किंतु लड़की की इच्छा न होने पर उस भ्रूण से छुटकारा पाने की प्रक्रिया अपनाई जाती है। अब सवाल यह उठता है कि देवी स्वरूप, निस्वार्थ भाव से सुख–सुविधाओं का बलिदान करने वाली मां उस अजन्मे शिशु को मारने की स्वीकृति कैसे दे देती है? क्या उस बच्ची को जीने का अधिकार नहीं है? उस बेचारी ने कौन सा अपराध किया है? यह कृत्य मानवीय दृष्टि से भी उचित नहीं है। प्रत्येक प्राणी जीना चाहता है। किसी को

जीने के अधिकार से वंचित करना पाप है। ''वैदिक धर्म में भ्रूण हत्या को ब्रह्म हत्या से भी बड़ा पाप बताया गया है।'' कहा गया है कि ब्रह्म हत्या से जो पाप लगता है, उससे दोगुना पाप गर्भपात से लगता है। इसका कोई प्रायश्चित नहीं है। जैन दर्शन में भी इसे नरक की गति पाने का कारण माना गया है। आश्चर्य है कि धार्मिक कहलाने वाला और चींटी की हत्या से भी कांपने वाला समाज आंख मूंद कर कैसे भ्रूण हत्या कराता है! यह मानव जाति को कलंकित करने वाला अपराध है।

यह समस्या जितना व्यावहारिक रूप ले उलझी है, उतना ही इसका सैद्धांतिक पक्ष इन्द्रजाल है। यह ऐसी व्यवस्था है, जिसके फलितार्थ गहन हैं। होने को तो यह एक स्थानीय समस्या है, लेकिन इसके परिणाम बड़े विकराल हैं। ''जब तक भारत में जातिप्रथा विद्यमान है, तब तक हिन्दुओं में अंतर्जातीय विवाह और बाह्य लोगों से शायद ही समागम हो सके, और यदि हिन्दू पृथ्वी के अन्य क्षेत्रों में भी जाते हैं तो भारतीय जात–पात की समस्या विश्व की समस्या हो जाएगी।'' सैद्धांतिक रूप से अनेक महान् विद्वानों ने जिन्होंने श्रम की चाह की खातिर इसके उद्भव तक पहुँचने का प्रयास स्वीकारा था, उनको निराश होना पड़ा। ऐसी स्थिति में बाबा साहेब इस समस्या का उसकी समग्रता की दृष्टि से समाधान नहीं कर सकते थे। उन्होंने कहा कि समय, स्थान और कुशाग्रता मुझे असफल कर देगी, यदि मैंने इस समस्या को वर्गीकृत न करके अपनी सीमाओं से अधिक स्पष्ट करने का प्रयत्न किया। जिन पक्षों को निरूपित करना चाहता हूँ, वे हैं– अनुसूचित जातियों में लैंगिक असमानता, कन्या भ्रूण हत्या, जातिप्रथा की संरचना, उत्पत्ति और इसका विकास। वे इन्हीं सूत्रों तक अपने आपको सीमित रखना चाहते थे।

भारतीय समाज में आर्यो, द्रविड़ों, मंगोलियों और शकों का सम्मिश्रण है। ये जातियाँ देश–देश से शताब्दियों पूर्व भारत पहुँची और अपने मूल देश की सांस्कृतिक विरासत के साथ यहाँ बस गईं। तब इनकी स्थिति कबायली थी। ये अपने पूर्ववर्तियों को धकेल कर इस देश के अंग बन गए। इनके परस्पर सतत् सम्पर्को और सम्बन्धों के कारण एक समन्वित संस्कृति का सूत्रपात हुआ। परन्तु भारतीय समाज के विषय में यह बात कहना असंगत है कि वह विभिन्न जातियों का संकलन है। पूरे भारत में भ्रमण करने पर दिगदिगन्त में यह साक्ष्य मिलेगा कि इस देश के लोगों में शारीरिक गठन और रंग–रूप की दृष्टि से कितना अंतर है।

संकलन से सजातीयता उत्पन्न नहीं होती है। यदि रक्त–भेद की दृष्टि से देखा जाए तो भारतीय समाज विजातीय है, हाँ यह संकलन सांस्कृतिक रूप से अत्यंत गुंथा हुआ है। इसी आधार पर बाबा साहेब का कहना है कि इस प्रायद्वीप को छोड़कर संसार का कोई देश ऐसा नहीं है, जिसमें इतनी सांस्कृतिक समरसता हो। हम केवल भौगोलिक दृष्टि से ही सुगठित नहीं हैं, बल्कि हमारी सुनिश्चित सांस्कृतिक एकरूपता के कारण जातिप्रथा इतनी विकराल समस्या बन गयी कि उसकी व्याख्या करना कठिन कार्य है। यदि हमारा समाज केवल विजातीय या सम्मिश्रण भी होता तब भी कोई बात थी, किन्तु यहाँ तो सजातीय समाज में भी जातिप्रथा घुसी हुई है। हमें इसकी उत्पत्ति की व्याख्या के साथ–साथ इसके संक्रमण की भी व्याख्या करनी होगी।

आगे विश्लेषण करने से पूर्व हमें जातितंत्र की प्रकृति पर भी विचार करना होगा।

अनुसूचित जाति के प्रति कुछ विद्वानों की परिभाषाएँ :–

1. जाति के सम्बन्ध में फ्रांसीसी विद्वान् ''श्री सेनार'' का सिद्धांत है : तीव्र वंशानुपात आधार पर घनिष्ठ सहयोग, विशिष्ट पारम्परिक और स्वतंत्र संगठनों से युक्त, जिसमें एक मुखिया और पंचायत हो, उसकी समय समय पर बैठकें होती हों, कुछ उत्सवों पर मेले हों, एक सा व्यवसाय हो, जिसका विशिष्ट सम्बन्ध रोटी–बेटी व्यवहार से और समारोह अपमिश्रण से हो और इसके सदस्य उसके अधिकार क्षेत्र से विनियमित होते हों, जिसका प्रभाव लचीला हो, पर जो सम्बन्ध समुदाय पर प्रतिबंध और दंड लागू करने में सक्षम हो और सबसे बढ़कर समूह से अपरिवर्तनीय।
2. ''नेसफील्ड'' जाति की परिभाषा इस प्रकार करते हैं : समुदाय का एक वर्ग जो दूसरे वर्ग से सम्बन्धों का बहिष्कार करता हो और अपने सम्प्रदाय को छोड़कर दूसरे के साथ शादी व्यवहार तथा खान–पान से परहेज करता हो।

3. ''नेसफील्ड'' जाति की परिभाषा इस प्रकार करते हैं : जाति का अर्थ है, परिवारों का या परिवार समूहों का संगठन, जिसका साझा नाम हो, जो किसी खास पेशे से सम्बन्ध हो, जो एक से पौराणिक पूर्वजों पितरों के वंशज होने का दावा करता हो, एक जैसा व्यवसाय अपनाने पर बल देता हो और सजातीय समुदाय का भी हो।
4. ''डॉ. केतकर'' ने जाति की परिभाषा इस प्रकार की है : दो लक्षणों वाला एक सामाजिक समूह, (क) उसकी सदस्यता उन लोगों तक सीमित होती है, जो जन्म से सदस्य होते हैं और जिनमें इस प्रकार जन्म लेने वाले लोग शामिल होते हैं, (ख) कठोर सामाजिक कानून द्वारा सदस्य अपनी जाति से बाहर विवाह करने के लिए वर्जित किये जाते हैं।

हमारे लिए इन परिभाषाओं की समीक्षा अत्यावश्यक है। यह स्पष्ट है कि अलग–अलग देखने पर तीन विद्वानों की परिभाषाओं में बहुत कुछ बातें हैं या बहुत कम तत्व हैं। अकेले देखने में कोई भी परिभाषा पूर्ण नहीं और मूल भाव किसी में भी नहीं हैं। उन सबने एक भूल की है कि उन्होंने जाति को एक स्वतंत्र तत्व माना है, उसे समग्र तंत्र के एक अंग के रूप में नहीं लिया है। फिर भी सारी परिभाषाएँ एक–दूसरे का पूरक हैं, जो तथ्य एक विद्वान् ने छोड़ दिया है, उसे दूसरे ने दर्शाया है। बाबा साहेब केवल उन सूत्रों पर विचार रखे और उनका मूल्याकंन किया, जो उपर्युक्त परिभाषाओं के अनुसार सभी जातियों में समान रूप से पाये जाते हैं, जो जाति की खासियत मानी जाती है।

हम प्रसिद्ध विद्वान 'सेनार' की परिभाषा से शुरू करते हैं। वह अपमिश्रण की बात करते हैं और यह बताते हैं कि यह जाति की प्रकृति है। इसे देखते हुए यह निर्विवाद कहा जा सकता है कि यह किसी जाति से सम्बन्धित नहीं है। यह आमतौर पर पूजा–समारोहों से सम्बन्ध बात है और शुद्धता के सामान्य सिद्धांत का पोषक तत्व है। परिणामस्वरूप इसका सम्बन्ध जाति से नहीं है और उसकी कार्यप्रणाली को ध्वस्त किये बिना, इसको प्रतिरुद्ध किया जा सकता है। अपमिश्रण का सिद्धांत जाति से जोड़ दिया गया है क्योंकि जो जाति सर्वोच्च कही जाती है, वह पुरोहित वर्ग है। हम जानते हैं कि पुरोहित और पवित्रता का पुराना सम्बन्ध है। सार यही है कि अपमिश्रण का सिद्धांत तभी लागू होता है, जब किसी जाति का धार्मिक स्वभाव हो। श्री नेसफील्ड अपने तरीके से कहते हैं कि जाति की प्रकृति है कि उनके साथ खान–पान नहीं किया जाता, जो उनकी जाति के बाहर है। यह नया तथ्य है, फिर भी ऐसा लगता है कि श्री नेसफील्ड इस व्यवस्था के प्रभाव से अपरिचित हैं। चूंकि जाति अपने में ही सीमित एक संस्था है, अतः वह सामाजिक अंतरंगता के विरुद्ध है, जिसमें खान–पान आदि पर भी पाबंदी है। परिणाम यह निकलता है कि बाहरी लोगों से खान पान पर पाबंदी सकारात्मक निषेध का कारण नहीं है, बल्कि जातिप्रथा का परिणाम है, अर्थात् भिन्नता का गुरुमंत्र है। इसमें कोई सन्देह नहीं कि खान–पान पर प्रतिबंध भिन्नता के कारण नहीं है, बल्कि यह एक धार्मिक व्यवस्था है। परन्तु यह तत्व बाद में जुड़ा है। सर एच. रिजले ने विशेष ध्यान देने योग्य कोई नई बात नहीं कही है।

अब हम डॉ. केतकर की परिभाषा का विश्लेषण करते हैं। उन्होंने इस विषय को और वृहद् रूप दिया है। केवल यही बात नहीं है कि वे भारत के निवासी हैं, बल्कि उन्होंने विवेचनात्मक और पैनी दृष्टि से निष्पक्ष राय दी है, जो जातिप्रथा के बारे में उनके अध्ययन के कारण हुआ है। उनकी परिभाषा विचारणीय है, क्योंकि उन्होंने जातितंत्र का विश्लेषण जातिप्रथा के आधार पर किया है और अपना ध्यान केवल उन्हीं लक्षणों तक केन्द्रित रखा है, जो जातिप्रथा के अंतर्गत जाति के अस्तित्व में अनिवार्य है। उन्होंने फालतू बातों की अवहेलना की है। जो गौण और क्षणिक हैं। उनकी परिभाषा के बारे में यह कहा जा सकता है कि उनके विचारों में कहीं थोड़ी भ्रांति है, वैसे उनमें विशेषता और स्पष्टता है। वह रोटी–बेटी के व्यवहार में भेदभाव की बात कहते हैं। मेरा कहना है कि मूल बात एक ही है, रोटी से भी परहेज है और बेटी व्यवहार से भी। पर डॉ. केतकर ने बताया कि ये एक ही सिक्के के दो पहलू है। यदि आप बेटी व्यवहार पर पाबंदी लगाते हैं, तो इसका अर्थ यह हुआ कि आप परिधि संकुचित कर लेते हैं। इस प्रकार ये दोनों लक्षण एक ही पहलू के मुख्य भाग तथा पृष्ठ भाग हैं।

निष्कर्ष :

अनुसूचित जातियों में लैंगिक असमानता एवं कन्या भ्रूण हत्या की समस्या के समाधान के लिए विवाह योग्य स्त्री–पुरुष संख्या की असमानता को रोकना होगा। प्रकृति इसमें सहायक तभी हो सकती है, जब पति के साथ पत्नी या पत्नी के साथ पति का आपसी सहयोग हो। भारतीयों को जात–पात की समस्या से ऊपर उठकर समानता की भावना को उजागर करना होगा। इसके अतिरिक्त कन्या भ्रूण हत्या को रोकने के लिये विभिन्न प्रकार की सामाजिक जागरूकता कार्यक्रम पर जोड़ देना होगा। इस हेतु सरकारी एवं गैर सरकारी संगठनों के द्वारा जागरूकता अभियान चलाने की आवश्यकता है।

संदर्भ सूची :

1. 'अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) 'अधिनियम', जनवरी 1989
2. अ.जा. एवं अ.ज.जा.(अत्याचार उन्मूलन) अधिनियम, 1993
3. नारी शोषण और आयाम– आशा रानी बोहरा, 2014
4. गौतम हरेन्द्र राज, महिला अधिकार संरक्षण, कुरुक्षेत्र मार्च, 2006
5. व्यास, जय प्रकाश, नारी शोषण, ज्ञानदा प्रकाशन, 2003
6. डॉ. मंजु लता, अनुसूचित जाति में महिला उत्पीड़न, अर्जुन पब्लिशिंग हाउस, नई दिल्ली, 2010